(Under the Jurisdiction of Bilaspur court only)

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
"मिनी रत्न कम्पनी"
(कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कम्पनी)
सीपत रोड, पो.बा. नं 60, बिलासपुर (छ.ग.) 495006
दूरभाष: एवं फैक्स– 07752–246463
कार्यालय उप महाप्रबंधक (श्र०ष०)

SOUTH EASTERN COALFIELDS LTD.
"A Mini Ratna Company"
(A Subsidiary of Coal India Ltd.)
Seepat Rd, P.B. No. 60, Bilaspur (C.G.) 495006
Phone No. & FAX No.: 07752-246463
OFFICE OF THE DY GENERAL MANAGER (MP)

Ref. No.SECL/BSP/MP/Rectt/16/216 Date: 25/01/2016.

NOTIFICATION

[APPLICATION UNDER TRAINING SCHEME FOR PREPARING "TRAINEES" FOR MINING SIRDARS ONLY FOR SCHEDULED CASTE/SCHEDULED TRIBE CANDIDATES]

South Eastern Coalfields Limited, a Subsidiary of Coal India Limited invites applications from male (preferably PAPs) ***SC/ST candidates belonging to State of Madhya Pradesh and Chhattisgarh only*** for imparting training for a period of four years to enable them to obtain Mining Sirdar Certificate of Competency. After obtaining the said Certificate of Competency from DGMS, the candidates will be eligible to work as Mining Sirdar/Shot Firer in the Coal Mines. Successful candidates will have a fair chance of being given appointment in Coal India Limited and its Subsidiaries against Back-log vacancies of SC/ST for the post of Mining Sirdar/Shot Firer.

The Authorities, however, do not guarantee appointment after obtaining the said Certificate of Competency. The appointment is subject to vacancy only.

01. Number of Trainees to be selected:

SC	ST	TOTAL
25	25	50

02. Eligibility Criteria:

- **Category:-** The Candidate must belong to either scheduled Caste or Scheduled tribe only.
- **Minimum Qualification:** The Candidate must have passed Senior Secondary School Examination or intermediate Examination or its equivalent examination from a recognized Board or university at the time of application.
- **Age:** The candidate should be minimum 18(Eighteen) years of age and maximum 23 (Twenty three) years of age as on 20th February,2016.
- **Medical Fitness:** The candidate should be able bodied & found fit to work in the mines to be certified by Company's own medical Officers/Medical Board for employment in Mines as per Medical standard as prescribed under Mines Act-1952 and Rules made thereunder & as per company's established standard and practice.

03. Details about Training:

The training would be of Four Years duration, including theoretical/classroom as well as practical training in the mine. The Company will bear the expenses as regard to hostel, fooding, study materials, travelling etc. Besides for pocket expenses a Monthly Allowance will be paid which will be regulated as follows:

1. During 1st year Rs. 1000/- per month. 2. During 2nd year Rs. 1250/- per month. 3. During 3rd year Rs. 1500/- per month. 4. During 4th year Rs. 1750/- per month.

The above monthly allowance will be calculated on pro-rata basis, depending upon number of physical attendance of the month subject to a minimum of 70% of working attendance failing in which no allowance will be paid for the said month. Trainees are to mark their attendance in the prescribed manner. The payment of monthly allowance is subject to work & conduct of trainee being found satisfactory.

04. Leave:

(a) Casual Leave:

i) Casual leave shall be admissible for a maximum period of seven days in a year; ii) Any holiday intervening during the period of casual leave shall not be counted for the purpose of limit of seven days; iii) Casual leave not utilized during any year shall stand lapsed at the end of the year; iv) Casual leave shall not be combined with medical leave. If casual leave is preceded or followed by medical leave, the entire leave taken shall be treated either as medical or casual leave, provided that it shall not be allowed to exceed the maximum period prescribed in respect of medical or casual leave, as the case may be. v) Except in case of extreme urgency applications for such leave shall be made to the In-charge of Training Centre and sanction obtained prior to availing of leave.

(b) Medical Leave:

i) Medical leave up to twelve days for each year of training may be granted to the Trainee who is unable to attend duty owing to illness. The unused leave shall be allowed to carry forward in next year of the training. ii) Any holiday intervening during the period of medical leave shall be treated as medical leave and accounted for in the limits prescribed under clause (i). iii) A Medical Certificate shall be necessary if the leave exceeds two days. iv) It shall be open to the In-charge of Training Centre to arrange a special medical examination of a Trainee if he has reason to believe that the Trainee is not really ill or the illness is not of such a nature as to prevent attendance.

(c) Extraordinary leave without pay:

Extraordinary leave without pay up to a maximum of ten days in a year may be granted to a Trainee, after he has exhausted the entire casual leave & medical leave, if the Controlling Officer is satisfied with the genuineness of the grounds on which the leave is applied for.

05. Mode of Selection:

The selection of Trainees shall be made by SECL based on the Marks obtained (Percentage) in the Senior Secondary School Examination or Intermediate Examination or its equivalent examination and a written test/interview as felt necessary by the Company (SECL). To adjudge the aptitude and suitability, the

Selection Committee would interview the candidates in the ratio of 1:3 and prepare panel. However, the final selection would be subject to medical fitness of the candidate in reference to provisions of The Mines Act & The Mines Rules, 1955 as well as Company's Recruitment Standard. The medical examination would be conducted before nominating the candidates to Training Centre.

06. BOND:

(a) Before start of the training, Trainees will be required to execute a bond to undergo the four years training as well as for serving the Company, i.e. SECL for a minimum period of five years after regular appointment. In case of failure to do so, the concerned candidate (Trainee) would be liable to re-pay the expenditure incurred in reference to his training subject to maximum of Rs. 2, 00,000/ (Two lakhs).

(b) Claim of a Trainee for employment would cease in the event of his failure to obtain the relevant statutory certificates i.e. valid Certificates of Mining Sirdarship, First Aid and Gas Testing, during the four years training period. The subsidiary concerned would not be under any obligation to provide employment to such Trainees.

07. Last date of Receipt of application – 20th February, 2016.

08. How to apply:

The candidates are required to apply in prescribed format given herein and send the same along with the enclosed documents through Speed-Post only so as to reach the "Dy General Manager (P/MP), South Eastern Coalfields Limited, Seepat Road Bilaspur CG PB-60 -495006 by 05.00 p.m. of 20.02.2016. The envelop should super scribe on top "APPLICATION FOR MINING SIRDAR TRAINING". Incomplete application will be liable for summarily rejection.

09. Documents to be enclosed along with application:

I. Photo copy of High School Final (Class-X) pass certificate issued by recognized Board.
II. Photocopy of Mark sheet of High School Final (Class-X).
III. Photo copy I.Sc./Intermediate/H.S.C/+2 Certificate issued by recognized Board/University.
IV. Photo copy Mark Sheet of I.Sc./Intermediate/H.S.C/+2 Certificate issued by recognized Board/University.
V. Photo copy of SC/ST Certificate issued by:

    a. District Magistrate/Additional District Magistrate/Collection/Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/ 1st Class Stipendiary Magistrate/ Sub Commissioner (not below the rank of 1st class stipendiary Magistrate).
    b. Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate (c) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
    c. Sub-Divisional Officer of the Area where the candidate and/or his family normally resides. (e) Administrator/ Secretary to Administrator/Development Officer (Lakshadweep Islands).

VI. Photo copy of Certificate of PAP issued by concerned Project Officer as per prescribed format.
VII. Photo copy of Domicile certificate issued by competent authority.
VIII. Photo copy of AADHAR Card/EPIC/I.Card of the Institution last studied.

IX. 5(five) copies of recent colour passport size photograph with name & date of photograph imprinted.

*** Photo copy of all documents required to be self-attested with place & date in full running signature by the applicant in his own hand.

10. Note:- Candidates belonging to Project Affected Persons (PAPs) of SECL Mines will be given preference in selection. For any dispute the decision of Director (Personnel), SECL will be final. The contents of the Scheme circulated vide CIL/C-5B/IR/00116/15/3807-25 dated 16.11.2015 of Director (P&IR), CIL will override effect. The candidates belonging to PAPs are advised to obtain the required certificate in prescribed format (May be down loaded from SECL site) from the project officer/Nodal Officer of respective Area well in time.

11. Candidates are requested to visit our website www.secl.gov.in for update information. Information about selection test etc. will be given through website. Candidates should not wait for postal dispatch.

Dy GENERAL MANAGER (P/MP)
SECL, Bilaspur

(Under the Jurisdiction of Bilaspur court only)

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
"मिनी रत्न कम्पनी"
(कोल इण्डिया लिमिटंड की सहायक कम्पनी)
सीपत रोड, पो.बा. नं 60, बिलासपुर (छ.ग.) 495006
दूरभाष: एवं फैक्स– 07752–246463
कार्यालय उप महाप्रबंधक (श्र०घ०)

SOUTH EASTERN COALFIELDS LTD.
"A Mini Ratna Company"
(A Subsidiary of Coal India Ltd.)
Seepat Rd, P.B. No. 60, Bilaspur (C.G.) 495006
Phone No. & FAX No.: 07752-246463
OFFICE OF THE DY GENERAL MANAGER (MP)

क्रमांक:एसईसीएल / बीएसपी / श्रश / भर्ती / 16 / 216 दिनांक 25 / 01 / .2016

सूचना

योग्यता का वैधानिक खनन पर्यवेक्षी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों (प्रथमतः एसईसीएल की परियोजना प्रभावित व्यक्तियों) से चार वर्षीया प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं|

एसईसीएल) कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के पुरुष वर्ग के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों) प्रथमतः एसईसीएल की परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (से चार वर्षीया प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं ताकि उन्हें खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा माइनिंग सरदार सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सके | उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात उम्मीदवार कोयला खदानों में सरदार /शॉट फ़ायरर का कार्य करने के योग्य माने जायेंगे | सफल उम्मीदवारों के पास कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों में माइनिंग सरदार /शॉट फ़ायरर के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों लिए रिक्त पदों में नियुक्ति के पत्र होंगे|

उल्लेखनीय हैकि सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने का आशय प्रबंधन द्वारा नियुक्ति की गारंटी कदापि नहीं है| नियुक्ति रिक्त पदों पर निर्भर करती है|

01 चयन किये जाने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या-:

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	कुल
25	25	50

02 . योग्यता मानदंड-:

- श्रेणी -: उम्मीदवार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति का होना चाहिए|
- न्यूनतम योग्यता -: उम्मीदवारों को किसी प्रतिष्ठित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कम से कम बारहवीं / उच्च माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होनी चाहिए|

- आयु -: आवेदक की आयु २८ february २०१६ को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम २३ वर्ष होना चाहिए|
- मेडिकल फिटनेस -: उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से सक्षम एवं खदानों में नियोजन के लिए उपयुक्त होना होगा जिसका प्रमाणीकरण कंपनी के चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा मंडल खान अधिनियम – १९५२ के तहत उल्लेखित चिकित्सा मानकों एवं उसके अधीन नियमावली तथा कंपनी द्वारा तय किये गए मानकों के आधार पर करेंगे |

03 . प्रशिक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण-:

प्रशिक्षण चार वर्षों की अवधी का होगा जिसमें सद्धांतिक /कक्षागत प्रशिक्षण के साथ-साथ खदानों में व्यव्हारिक प्रशिक्षण भी शामिल होगा | छात्रावास ,भोजन ,शक्षिक सामग्री ,यात्रा अदि का व्यय कंपनी स्वयं करेगी | साथ ही ,प्रशिक्षु को जेब खर्च के रूप में मासिक भत्ते के रूप में निम्नानुसार राशि देय होगी-:

1. प्रथम वर्ष में रु १००० -/ .2द्वितीय वर्ष में १२५० -/३ .तृतीय वर्ष में १५०० -/४ .चतुर्थ वर्ष में १७५० -/

उपरोक्त मासिक भत्ते समानुपातिक अधर पर परिगणित किये जायेंगे जिसमें महीने में कम से कम ७० %वास्तविक उपस्थिति अनिवार्य होगी | जिस महीने की उपस्थिति ७० %से कम होगी उस महीने का मासिक भत्ता सम्बंधित प्रशिक्षु को देय नहीं होगा | प्रशिक्षुओं को निर्धारित तरीके से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी | प्रशिक्षु का कार्य एवं व्यव्हार संतोषजनक होने पर ही उन्हें मासिक भत्ता देय होगा|

04 . अवकाश-:

क(आकस्मिक अवकाश-:

i) एक वर्ष में अधिकतम ०७ आकस्मिक अवकाश ही स्वीकृत होंगे|
ii) आकस्मिक अवकाश के बीच किसी छुट्टी को ०७ दिनों की सीमा के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जायेगा|
iii) यदि किसी वर्ष आकस्मिक अवकाश नहीं लिया गया हो तो वह उस वर्ष के अंत में समाप्त हो जायेगा|
iv) आकस्मिक अवकाश चिकित्सा अवकाश के साथ नहीं मिलाया जायेगा | यदि आकस्मिक अवकाश के तुरंत बाद चिकित्सा अवकाश लिया जाता है तो पूरे अवकाश को या तो चिकित्सा अवकाश या आकस्मिक अवकाश मान लिया जायेगा ,साथ ही यह भी ध्यान में रखा जायेगा की यह चिकित्सा अवकाश अथवा आकस्मिक अवकाश अधिकतम सीमा के अन्दर हो||
v) अत्यावश्यकता को छोडकर ,ऐसे अवकाश पर जाने से पहले प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी के समक्ष आवेदन दिया जाना एवं स्वीकृति मिलने पर ही अवकाश पर जाना अनिवार्य होगा|

ख (चिकित्सा अवकाश-:

i) यदि कोई प्रशिक्षु बीमारी के कारण प्रशिक्षण प्राप्त करने में असमर्थ हो तो ऐसे में उसे प्रत्येक वर्ष के लिए १२ दिनों का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत होगा | उपयोग नहीं किया गया चिकित्सा अवकाश प्रशिक्षण के अगले वर्ष के चिकिसा अवकाश में जुड जायेगा|

ii) चिकित्सा अवकाश की अवधी के अंतर्गत किसी भी प्रकार की छुट्टी को चिकित्सा अवकाश के रूप में ही गिना जायेगा तथा खंड (i) में उल्लेखित सीमा में ही उसे रखा जायेगा|

iii) यदि चिकित्सा अवकाश की अवधी दो दिनों से अधिक की हो तो चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा|

iv) यदि प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी को यह आभास हो की प्रशिक्षु वास्तव में बीमार नहीं था अथवा बीमारी इस प्रकार की न हो कि उपस्थिति बाधित हुई ,तो वह प्रशिक्षु के लिए एक विशेष चिकित्सा जाँच की व्यवस्था कर सकता है|

ग (बिना वेतन का असाधारण अवकाश-:

यदि समस्त आकस्मिक अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश समाप्त हो गए हों एवं असाधारण अवकाश के लिए दिए गए कारण से नियंत्रक अधिकारी संतुष्ट हों तो एक प्रशिक्षु को एक वर्ष के दौरान अधिकतम १० दिनों तक के लिए बिना वेतन का असाधारण अवकाश स्वीकृत हो सकता है|

05. चयन प्रक्रिया -:प्रशिक्षुओं का चयन SECL द्वारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल या इंटरमीडिएट परीक्षा या समक्ष परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर और कंपनी द्वारा आवश्यकता महसूस होने पर लिखित परीक्षा / साक्षात्कार आयोजित किया जावेगा |

योग्यता और उपयुक्तता का निर्णय करने के लिए ,चयन समिति 1:3 के अनुपात में सूचि तैयार करेगी अंतिम रूप से उम्मीदवारों का चयन खान अधिनियम १९५२, खान नियमावली, 1955 तथा कंपनी के नियोजन मानको के प्रावधानो के अनुसार चिकित्सीय जाँच में फिट पाए जाने के पश्चात् ही किया जवेगा |

06 . अबुबंध-:

क(प्रशिक्षण आरंभ होने के पहले ,उम्मीदवारों को अधिकतम दो लाख) २,००,००० (-/रुपये का अनुबंध प्रस्तुत करना होगा जिसके अनुसार चार वर्षों का प्रशिक्षण पूरा कर लेने के पश्चात उम्मीदवार को नियमित नियुक्ति के उपरांत एसईसीएल में कम से कम पांच वर्ष तक अपनी सेवाएं देनी होंगी |ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में ,सम्बंधित उम्मीदवार) प्रशिक्षु (को उनके प्रशिक्षण के दौरान कंपनी द्वारा व्यय किये गए रूपए वापस करने होंगे|

ख (चार वर्षों की प्रशिक्षण अवधि के दौरान माइनिंग सरदारशिप ,प्राथमिक चिकित्सा एवं गैस टेस्टिंग जैसे समस्त सम्बंधित वैधानिक प्रमाण पत्र प्राप्त न कर पाने वाले उम्मीदवार के लिए नियोजन के लिए प्रस्तुत

दावे पर विचार नहीं किया जायेगा | ऐसे प्रशिक्षुओं को सम्बंधित अनुषंगी कंपनी द्वारा रोजगार दिए जाने की कोई बाध्यता नहीं है|

07 . आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख -:२० फरवरी ,२०१६|

08 . आवेदन कैसे करे

योग्य उम्मेदवार निर्धारित प्रपत्र में विधिवत भरा हुआ आवेदन समस्त दस्तावेजों के साथ दिनांक २०.०२.२०१६ की शाम 05 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से उप महा प्रबन्धक) का०/श्र०श० ,(एसईसीएल ,सीपत रोड ,पो० :एसईसीएल ,जिला :बिलासपुर) छ०ग० (पिन -४९५००६ को भेज सकते हैं | लिफाफे के ऊपर **<u>माइनिंग सरदार के प्रशिक्षण के लिए आवेदन</u>** लिखा होना आवश्यक है| अधूरे आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा |

09. आवेदन के साथ संलग्नित दस्तावेजो की सूची-:

i) किसी प्रतिष्ठित बोर्ड द्वारा जारी हाई स्कूल 10) वी (उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि|

ii) हाई स्कूल 10 /वी की अंकसूची की प्रति|

iii) किसी प्रतिष्ठित बोर्ड द्वारा / विश्वविध्यालय द्वारा जारी उच्च माध्यमिक परीक्षा) १२ वी (/इंटरमीडिएट परीक्षा / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि|

iv) किसी प्रतिष्ठित बोर्ड द्वारा / विश्वविध्यालय द्वारा जारी उच्च माध्यमिक परीक्षा) १२ वी (/इंटरमीडिएट परीक्षा / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अंकसूची की प्रतिलिपि|

v) निम्न किसी प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति / जनजाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि-:

क) जिला मजिट्रेट / अपर जिल मजिट्रेट / जिला कलेक्टर / उपायुक्त / अपर उपायुक्त / अपर कलेक्टर|

ख) प्रमुख प्रेसीडेंसी मजिट्रेट / अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिट्रेट

ग) राजस्व अधिकारी) तहसीलदार से नीचे नहीं| (

घ) उम्मीदवार एवं अथवा उसके परिवार के सामान्यतः आवासीय क्षेत्र के अनुमंडल अधिकारी|

ङ) प्रशासक / प्रशासक के सचिव / विकास अधिकारी) लक्षदीप टापू(

vi) परियोजना अधिकारी द्वारा जारी / प्रमाणित परियोजना प्रभावित व्यक्ति होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र|

vii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र|

viii) आधार कार्ड / EPIC / शैक्षणिक संसथान द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रतिलिपि|

ix) हाल ही में खिंची गयी रंगीन छायाचित्र जिसमें नाम और तिथि अंकित हो की 05 प्रति|

***स्थान एवं दिंनांक के साथ उम्मीदवार द्वारा पूर्ण हस्ताक्षर में स्व-अभिप्रमाणित की हुई समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति|

10. एसईसीएल के खदानों की आसपास के व्यक्तियों को चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी | किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में एसईसीएल के निदेशक) का० (का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा | निदेशक) का० / औ स (कोल्इंडिया लिमिटेड ,कोलकाता के द्वारा जारी पत्र क्रमांक सीआईएल/सी-5बी/आईआर/00116/15/3807/25, दिनांक – 16.11.2015 के माध्यम से इस योजना के सम्बन्ध में जो स्वपरिचलित किया गया है यह प्रभावी होगा|

11. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे हमारी वेब साईट www.secl.gov.in के संपर्क में रहे | चयन परीक्षा आदि के सम्बन्ध में सूचना वेब साईट के द्वारा दी जाएगी | उम्मीदवारों को डाक प्रेषण की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है|

12. भाषा सम्बन्धी विसंगति होने पर अंग्रेजी माध्यम मान्य होगा|

उप महाप्रबन्धक (का० / श्र०श०)

CERTIFICATE OF PROJECT AFFECTED PERSONS FOR SC/ST

Certify that Shri____, S/o ____of__________________________ village has lost the following for _______________________ Project/Mines of SECL as per available record. He is applying for undergoing mining training in SECL.

1. a) Land (details of area, plot No. etc.) :
   b) Home:
   c) Property (details):

2. Livelihood looser (details) :

3. Share cropper (details) :

4. Depend on forest produce (details) :

5. Common place of bathing/worship/burial ground/community land loss:

6. Stays in a radius of_________K.M. & closely impacted by mining operation like_________

7. Usufruct right is disturbed.

8. Affected any other way (details) :

This certificate is given only for the purpose of considering candidature for undergoing training in SECL to obtain Mining Sirdarship Certificate from DGMS & not valid for any purpose.

Date:

Signature Place:
Name of Project Officer Seal

*Strike out which is not applicable.

Note: (PAP-Will have same definition and meaning as given in the Right to Fair compensation and Transparency in Land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act-2013)

APPLICATION FOR UNDERTAKING TRAINING IN SECL FOR OBTAINING STATUTORY MINING SUPERVISORY CERTIFICATE OF COMPETENCY IN COAL MINES

Affix Passport size photograph with name

[Fill up the following details in BLOCK letters

Name of the Candidateआवेदककानाम								
Father's Name पिताकानाम								
Caste वर्ग	SC	ST	Whether Projected Affected Person(PAP) क्यापरियोजनाप्रभावितहैं				Yes	No
Date of Birth जन्मतिथि	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

Permanent Address स्थाई पता		*Village/*ग्राम		*PO/*डाकघर	
PS/पुलिसथाना		*Distt/* जिला		*State/*राज य	
Pin/ पिन		*Mob No/*मो0न0			
Permanent Address स्थाई पता		*Village/*ग्राम		*PO/*डाकघर	
PS/पुलिसथाना		*Distt/* जिला		*State/*राज य	
Pin/ पिन		*Mob No/*मो0न0			
Email/ईमैल					

Name of nearest Mine of SECL from permanent residence of applicant and distance in KM
स्थाईपते से एसईसीएल की समीपवर्ती खदानकानाम एवंदूरी (किमी में)

Mines name/खदानकानाम		'Name of Area/क्षेत्र कानाम	

Educational Details/ शैक्षणिक योग्यताकाविवरण

Examination Passed परीक्षाउत्तीर्ण	Board/ University/ बोर्ड / विश्वविद्यालय	Year of passing वर्ष	Total Marks कुलअंक	Marks Obtained प्राप्तांक	% Marks obtained प्राप्तांकका%
H.S(10TH) 10 वी					
SSC(12TH) 12 वी					

Certify that the particulars submittedabove are true to my knowledge and based on proper certificate/ documents. If at any time it is revealed that any of the information submitted by me is not true, my candidature will be cancelled or training/employment will be terminated without any information. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत विवरण प्रमाण–पत्र एवं दस्तावेज के आधार पर मेरी जानकारी में सही है यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी निरस्त अथवा प्रशिक्षण /नियुक्ति बिना सूचना दियेनिरस्त की जावे ।

Signature of Candidate
आवेदक के हस्ताक्षर

Place/स्थान..................

Date/दिनांक.................

.

List of Documents 1. H.S (10TH) 2. SSC(12TH) 3. Caste Certificate 4. Domicile Certificate 5. Certificate of PAPs 6. Identity Card 7. Colour photograph (5 nos)